



# नई पीआईडी कैसे बनाएं

नागरिकों के लिए नई पीआईडी बनाने के लिए चरण-  
दर-चरण मार्गदर्शिका

शहरी स्थानीय  
निकाय निदेशालय  
हरियाणा

ब्लॉक सं. 11-14, सैक्टर-4, पंचकुला, हरियाणा  
Bay No. 11-14, Sector 4, Panchkula, Haryana




DIRECTORATE OF URBAN  
LOCAL BODIES  
HARYANA

Tel.: +91 172 2570020; Fax: +91 172 2570021  
Website: [www.ulbhry.gov.in](http://www.ulbhry.gov.in); email: [dulbhry@hry.nic.in](mailto:dulbhry@hry.nic.in)

## नई पीआईडी कैसे बनाएं

1. अपना इंटरनेट ब्राउज़र खोलें और यूआरएल टाइप करें: "<https://property.ulbharyana.gov.in/>"
2. अब पोर्टल पर लॉगइन करें।
3. नई पीआईडी बनाने के लिए आगे बढ़ने से पहले, कृपया पोर्टल पर संपत्ति खोजें।
4. मेनू से "संपत्ति खोजें" चुनें और मालिक का नाम, मालिक का मोबाइल नंबर, प्लॉट/यूनिट नंबर, पीआईडी आदि जैसे किसी भी मानदंड का उपयोग करके संपत्ति खोजें।
5. खोजने के बाद, यदि आप सुनिश्चित हैं कि आपकी संपत्ति पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है, तो मेनू में "नया/स्प्लिट पीआईडी बनाएं" लिंक पर क्लिक करें और फिर नया पीआईडी बनाने के लिए "कृपया यहां क्लिक करें" पर क्लिक करें। "यदि आप अपनी संपत्ति का पता नहीं लगा पाते हैं या यह मौजूदा संपत्ति का एक उपखंड है, तो कृपया नई संपत्ति आईडी बनाने के लिए यहां क्लिक करें"



6. नीचे दिखाए गए घोषणा में चेकबॉक्स का चयन करें और फिर "आगे बढ़ने के लिए यहां क्लिक करें" पर क्लिक करें।

### Declaration for Application for Generating New Property Id

It is certified that I couldn't find property ID of my property while searching property using the facility to search property on this portal.  
यह प्रमाणित किया जाता है कि इस पोर्टल पर संपत्ति खोजने की सुविधा का उपयोग करके संपत्ति खोजते समय मुझे अपनी संपत्ति की आईडी नहीं मिली।

In case, any information provided by the applicant is found wrong at any stage of time then he will be liable to be punished and penalized as per Indian Panel Code and under section 87, 88, 101, 104, 145 of Haryana Municipal Corporation Act, 1994/ under section 69, 86, 87, 94, 95, 98 of Haryana Municipal Act, 1973 as the case may be.  
यदि आवेदक द्वारा प्रदान की गई कोई भी जानकारी किसी भी समय गलत पाई जाती है तो वह भारतीय दंड संहिता के अनुसार और हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 87, 88, 101, 104, 145 के तहत/हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 69, 86, 87, 94, 95, 98 के तहत (जैसा भी मामला हो) दंडित किया जा सकता है।

I have read all the above terms, conditions and agree to submit application for generating new property ID  
मैंने उपरोक्त सभी नियम, शर्तें पढ़ ली हैं और नई संपत्ति आईडी बनाने के लिए आवेदन जमा करने के लिए सहमत हूँ।

[Click here to proceed](#)

अब जिला, नगर पालिका और उस कॉलोनी का नाम चुनें जिसमें नई पीआईडी बनाई जानी है।  
कॉलोनी का चयन करने पर, सिस्टम मानचित्र विंडो पर कॉलोनी पर ज़ूम करेगा।


Application for Generating Property Id (Note : No physical visit to the office of Municipality is required)

हिंदी English

Name of District \* AMBALA Name of Municipality \* AMBALA Name of the Colony \* (Click to view colony map) Arpit Enclave

Please drag your marker to your property.

Latitude: 30.34206495 Longitude: 76.76908836



मानचित्र विंडो पर, नीले मार्कर को बनाए जाने वाले पीआईडी के सटीक स्थान पर ले जाएं।

7. पीआईडी का स्थान चिन्हित करने के बाद “नेक्स्ट” बटन पर क्लिक करें



8. यदि संपत्ति किसी मौजूदा पीआईडी का उप-विभाजन है, तो "क्या यह मौजूदा संपत्ति आईडी का उप-विभाजन है" के विरुद्ध "हां" चुनें। अन्यथा "नहीं" चुनें।

Application for Generating Property Id (All \* fields are mandatory) हिंदी English

Name of District \* AMBALA Name of Municipality \* AMBALA Name of the Colony \* Arpit Enclave

Whether it is sub-Division of existing Property Id: \*  Yes  No

9. नीचे दिखाए गए अनुभाग में संपत्ति विवरण दर्ज करें:

Enter Details of the Property to be Created

Property Category * Residential	Property Type * House	Property Sub Type * Independent House	Mobile No. (10 Digits) * 8888888888
Plot No. / House No. * 12	Street No. / Name Street No. 1	Landmark Near Community Centre	Pincode * 134056
Plot Area * 100	Unit * SqMeter	Electricity Consumer A/c No. * 1ADFD455	

10. अब मालिक का विवरण दर्ज करें और नीचे दिखाए गए मालिक अनुभाग में "मालिक जोड़ें" पर क्लिक करें:

**बनाई जाने वाली संपत्ति का स्वामी विवरण दर्ज करें**

मालिकी किसिम \*  
Select

मालिक का नाम \*      लिंग \*      अभिभावक का नाम \*      संबंध प्रकार \*

मोबाइल नं (10-अंक) \*

मालिक जोड़ें

ACTION	NAME OF THE OWNER	GENDER	FATHER OR HUSBAND NAME	RELATION TYPE	MOBILE NO	COUNTRY NAME
No data available						

एकाधिक स्वामियों को जोड़ा जा सकता है।

11. मंजिल के अनुसार निर्माण विवरण जोड़ें

**निर्माण विवरण**

मंजिल \*      कवर क्षेत्र (वर्ग फुट) \*      छूट \*      अधिभोग प्रकार \*



Select           No Rebate      Select

मंजिल जोड़ें

ACTION	FLOOR	COVERED AREA (SQ.FEET)	REBATE	OCCUPANCY TYPE	OCCUPIER DETAILS WHEN PROPERTY IS RENTED				
					OCCUPIER NAME	OCCUPIER GENDER	OCCUPIER FATHER OR HUSBAND NAME	OCCUPIER RELATION TYPE	OC
No data available									

12. Upload the documents, in the Documents section and upload Property image

## Department of Urban Local Bodies, Haryana

Document(s)			
S.No.	Document	Document Type	File
1	Proof of Identity *	Aadhar Card	Choose File 2353.pdf
2	Proof of Ownership *	Sale deed/Conveyance deed	Choose File mdm_november.pdf
3	Site Plan showing location of the site *		Choose File 2417.pdf
4	Upload Jamabandi in case of Agriculture Category *		Choose File No file chosen
5	Upload Building Photograph 1 *		Choose File house1.jpg
6	Upload Building Photograph 2 *		Choose File house2.jpeg

13. अब चुनें कि आवेदन "सामान्य मोड" के तहत जमा करना है या "प्राथमिकता सेवा" के तहत।

### पीआईडी अनुरोध प्रकार चुनें

नया पीआईडी अनुरोध(सामान्य)  
शुल्क : शून्य /-  
समयसीमा: 10 कार्य दिवस

तत्काल योजना के तहत नया पीआईडी अनुरोध

शुल्क : Rs. 1000/-  
समयसीमा 2 कार्य दिवस  
(समय भुगतान की सफल प्राप्ति से शुरू होगा। यदि भुगतान सुबह 11 बजे के बाद प्राप्त होता है, तो समय की गणना अगले कार्य दिवस से की जाएगी)

© 2024 No Dues Certificate Management System

[Application Status](#) | [Privacy Policy](#) | [Terms & Conditions](#) | [Contact Us](#)

14. घोषणा में "मैं सहमत हूँ और सबमिट करने के लिए यहां क्लिक करें" चेकबॉक्स चुनें।

### Declaration

All the information provided by me in application form for generating new property ID is true to the best of my knowledge and no fact has been concealed.

In case information provide by me is found wrong then I am liable to be punished and penalized as per Indian Penal Code and under section 87, 88, 101, 104, 145 of Haryana Municipal Corporation Act, 1994/ under section 69, 86, 87, 94, 95, 98 of Haryana Municipal Act, 1973 as the case may be.

If the concerned Municipality notices at any stage of time that dues deposited by you are less than the actual dues, then balance dues along with the penalty will be recovered by the concerned municipality.

No objection on Main PID (and the split PID that is created when approved) will be allowed for three months or until the registration/sale-deed is executed, whichever is earlier. If the registration/sale-deed is not done within three months, the split PID application will be cancelled.

I agree and click here to submit

15. आवेदन जमा करने के लिए:

- सिस्टम आपको परिवार (परिवार पहचान पत्र) आईडी दर्ज करने के लिए कहेगा। अपनी फैमिली आईडी दर्ज करें. परिवार-आईडी के साथ पंजीकृत आपके मोबाइल नंबर पर एक

ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी दर्ज करें और सत्यापित विवरण बटन पर क्लिक करें। आपकी संपत्ति स्व-प्रमाणित होगी।

- अगर आपके पास फैमिली आईडी नहीं है तो आधार नंबर डालें। आधार नंबर के साथ पंजीकृत आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी दर्ज करें और सत्यापित विवरण बटन पर क्लिक करें। आपकी संपत्ति स्व-प्रमाणित होगी।
- अगर आपके पास भी आधार नंबर नहीं है तो No पर क्लिक करें। अब सिस्टम आपसे यह प्रमाणित करने के लिए कहेगा कि आपके पास फैमिली-आईडी और आधार नंबर नहीं है।
- अब आपकी संपत्ति के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी दर्ज करें और सत्यापित विवरण पर क्लिक करें। आपकी संपत्ति स्व-प्रमाणित होगी।

I agree and click here to submit

Do you have Family Id? \*  Yes  No

Do you have Aadhar Card? \*  Yes  No

I certify that I do not have Family id (Parivar Pehchan Patra) and Aadhar Number.\*

Submit Application

CSC/CFC Operators or any other agents are directed not to submit New PID Applications from their Login.

16. अंत में “आवेदन सबमिट करें” बटन पर क्लिक करें।

\*\*\*\*\* अंत \*\*\*\*\*